



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01022026-269730
CG-DL-E-01022026-269730

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 427]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 30, 2026/माघ 10, 1947

No. 427]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 30, 2026/MAGHA 10, 1947

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2026

का.आ. 455(अ).—जबकि मेसर्स राजस्थान IV ए पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय टी-15 ए, तृतीय तल, सालकॉन रासविलास, साकेत, नई दिल्ली 110017, भारत में स्थित है, ने ट्रांसमिशन प्रणाली “राजस्थान आरईजेड चरण-4 (भाग-2: 5.5 गीगावाट) (जैसलमेर / बाड़मेर कॉम्प्लेक्स): भाग-ए के लिए बिजली की निकासी हेतु ट्रांसमिशन प्रणाली” के तहत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं 25-17/26/2024-PG दिनांकित 22.03.2024 के द्वारा ट्रांसमिशन प्रणाली “राजस्थान आरईजेड चरण-4 (भाग-2: 5.5 गीगावाट) (जैसलमेर / बाड़मेर कॉम्प्लेक्स): भाग-ए के लिए बिजली की निकासी हेतु ट्रांसमिशन प्रणाली” के अंतर्गत आने वाली ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनों के लिए विद्युत अधिनियम की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मेसर्स राजस्थान IV ए पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड ने स्थानीय समाचार पत्रों द न्यू इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेजी) दिनांक 03.11.2024, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेजी) शुद्धिपत्र दिनांक 22.03.2025, दैनिक भास्कर (हिंदी) दिनांक 03.11.2024, दैनिक भास्कर (हिंदी) शुद्धिपत्र दिनांक 22.03.2025, दैनिक नवज्योती (हिंदी) दिनांक 03.11.2024, दैनिक नवज्योती (हिंदी) शुद्धिपत्र दिनांक 22.03.2025, राजस्थान पत्रिका (हिन्दी) दिनांक 03.11.2024, राजस्थान पत्रिका (हिन्दी) शुद्धिपत्र दिनांक 22.03.2025 और भारत सरकार के साप्ताहिक राजपत्र में दिनांक 30.11.2024 तथा शुद्धिपत्र के रूप में दिनांक 03.05.2025 में ट्रांसमिशन योजना के लिए प्रस्तावित ट्रांसमिशन मार्ग पर प्रकाशन की तारीख से 2 महीने

के भीतर आम जनता की टिप्पणियों/अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था। इसके पश्चात, मेसर्स राजस्थान IV ए पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड ने 28.07.2025 को एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें घोषणा की गई है कि भारत सरकार के आधिकारिक राजपत्र एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन की तारीख से 2 महीने के भीतर 09 टिप्पणी / अभ्यावेदन प्राप्त हुई थी। उसी का उचित उत्तर दिया गया और उसे बंद कर दिया गया।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत “राजस्थान आरईजेड चरण-4 (भाग-2: 5.5 गीगावाट) (जैसलमेर / बाड़मेर कॉम्प्लेक्स): भाग-ए के लिए बिजली की निकासी हेतु ट्रांसमिशन प्रणाली” ट्रांसमिशन प्रणाली के तहत ट्रांसमिशन लाइन विद्युत के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किये गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किये जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं। योजना के अंतर्गत निम्नलिखित ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन हैं:

1. फतेहगढ़-4 (एफ4) - भीनमाल (पीजी) 400 केवी डी/सी ट्विन एचटीएलएस लाइन
2. फतेहगढ़ IV (सेक्शन 2) PS पर 765kV फतेहगढ़ III - ब्यावर D/C लाइन के दोनों सर्किट का LILO

उपरोक्त योजना के अंतर्गत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन राजस्थान राज्य के निम्नांकित गाँवों, कस्बों और शहरों से होकर, उन पर से, उनके आसपास से और बीच से होकर गुज़रेगी:

क्र.	गाँव के नाम	तहसील	जिला
1	प्रजापतों की ढाणी (पाचानियों की ढाणी) (पंचानियों की धनि), हरियाला मगरा, जेतानियों की ढाणी (जैतानियों की धनि), हरियाली, माडपुरा सानी (मादपुरा सनी), सरणु पनजी (सरनू पंजी), सरणु भीमजी (सरनू भीमजी), आकल, खारिया तला (खारिया ताला), भाडखा पुरोहितान, नाराणियों की ढाणी (नारानियों की धनि), लाध्राणियों की ढाणी (लालाणियों की ढाणी), कुर्ला	बाड़मेर	बाड़मेर
2	भोजासर, नाथाणी जाणियों की ढाणी (नाथोनी जोनियों की धनि), चेनाणियों की ढाणी (चैनानियों की धनि), काकडो की ढाणी (ककडों की धनि), अणदाणियों की ढाणी (अन्दोनियों की धनि), खवालिया नाडा (खवालिया नाडा), डोगीयालो की ढाणी (दोगियलों की धनि), बोडवा (बोरवा), लापला (लपला), बायतू पनजी (बयातू पंजी), हुडो की ढाणी (हदों की धनि), सउओ की ढाणी (सउओन की धनि), नौसर (नोसर), पनाणियों की ढाणी (पन्नानियों की धनि), सिहडों की ढाणी (सीहों की ढाणी) (सीहों की धनि), बांकनाडी, मिठियातला एस (मीठियातला) (मिठिया ताला), पुराना गांव (पुराना गाँव), लाध्राणियों की ढाणी (लाधोनियों की धनि), भगोणियों की ढाणी (भागोनियों की धनि), बनिया धोरा, रामसरिया, बायतु भीमजी, साजन की ढाणी (सजन की ढाणी), खारडा बेरा, त्रिशूलिया, केरली नाडी, उदरिया सरा (उदरीय), गोदारो की ढाणी (गोदारो का सारा), नाईयो की ढाणी (नैयोन की धनि), सेवनियाला (सोनियाला), कोसरीया, जांदुओ की ढाणी (जगुवानियों की धनि), गेहूँवाला, नगोणी धतरवालो की ढाणी (नागोनियों धतरवालों की ढाणी), दानोणी मेगवालो की ढाणी, खरताणियों की ढाणी, बनियालो की ढाणी, माहिंणाणी मूढो की ढाणी (महिगोनी मूढो की ढाणी), पनोणी जोणियों की ढाणी, मकाणियों की ढाणी, जोगासर, भादरवा पुरोहितान	बायतू	बाड़मेर

	(भदरवा पुरोहितान), देरामानिणों की ढाणी (देरामानियों की धनि), धारणा धोरा, पीरोणी कडवासरो की ढाणी, मगने की ढाणी, रामसर का कुआ, बरीवाला ताला, संगना कुआ, दूधिया की ढाणी		
3	ईशरोमो का तला (इस्लामों का ताला),मूलाणियो की ढाणी (मूलोणियो की ढाणी) , रतनाली नाडी, छीतर का पार, चौखला खानजी का तला	बाटाडू	बाडमेर
4	नया खरंटिया, खरंटिया (खर्नितिया), सणपामानजी (सनपा मांजी),भाटियो का डेर (भटियों की देर), सणपा फांटा भोमजी (सनपा फांटा भोमजी), टाकू बेरी (ताकूबेरी), कमठाई, बिलासर (बिलसर), समदडो का तला (समदारों का ताला), धने की ढाणी (धने की धनि), पोटलियो की ढाणी (पोटलियों की धनि), लूखो की ढाणी, सिणधरी चारणान, करडाली नाडी (करदली नदी), एड अमरसिंह, गादेसरा(गदेसरा), भलखाडी, डांगवा (दंगवा), लूणाकला(लूना कलान), मण्डावला, कैराला पाना (केरल पाना),एड सिणधरी, जैरुपोणियो का तला (जैरु पानियों का ताला), अरणियाली महेचान, पांयला खुर्द, पांयला कला (प्याला कलान),गालानाडी, सेवनियाला(सोनियाला), ठावो की ढाणी, जूनाखेडा दरगुडा, दरगुडा, मोतीसरा, खेराजपुरा, गोसाँई नगर, जशनाथ नगर, जैरुपोणियो का तला	सिणधरी	बाडमेर
5	धारासर, निम्बाला, नीम्बली, भोजारिया, भोजराजपुरा	चौहटन	बाडमेर
6	सोढों की ढाणी, धोलीनाडी	गुढा मालानी (गुडामालानी)	बाडमेर
7	सिंधियों की ढाणी	पचपदरा	बाडमेर
8	भगवानोणियो:की ढाणी, हडवा (हरवा),मणिहारी, गूंगा, बिसूकला(बिसू कला), बलाई (बालाई), शिव, जोरानाडा, निम्बासर (नीम्बसर), नागडदा (नेगरडादा) , आगोरिया, साजीतडा (सजीतारा), निम्बला, नीम्बला नाडा, पुषड(पुषद), चक गूंगा (चाक गूंगा), मेगवालो की ढाणी (धनाणियों मेघवालों की ढाणी), अम्बावाडी, लालसो क ढाणी, सिद्ध, विरधसिंह की ढाणी, हेमानाडा,कपूरडी, भद्रेस गंधव, जालिपा एगोर, पुरोहितों की बस्ती, बांद्रा, साँसियों की बस्ती, नगनेशियां ढूँढा, लानी कथा, बकनियों का बास, नाथनियों का बास, अजिताणियों की ढाणी, अजितायन की ढाणी, सरूपरण की ढाणी, सरूपा राम की ढाणी, कुंभार की ढाणी, कुम्हार की ढाणी, रत्ते कुम्हार की ढाणी, आई माता मंदिर, तुलछाणी, तुलचानन	शिव	बाडमेर
9	रंगाला, बिजलियाँ, खोखा, सोबडावास(सोब्रवास), कोरीधवेचा (कोरी धावेचा), जैसावास (जैसवास), कूडाधवेचा (कुरा धावेचा), मीरगंज	बागोडा	जालोर
10	कोटकास्ता (कोट कस्ता), कोरा, रुचियार (रुचियर), दासपा(दस्पन), सरथला (सर्थाला), भागलसेफ्टा (भागल	भीनमाल	जालोर

	सेफ्टा), नासोली, नरता, लेदरमेर, भीनमाल A, भीनमाल B, भीनमाल C, नवापुरा नवापुराचाम्पवतान (नवापुरा चौपवातन), घासेड़ी, कावतरा (कवातारा), मैया की ढाणी, कुशलापुरा		
11	भादरडा , देलवाडा (देलवारा)	जसवंतपुरा	जालोर
12	खानपुर	जालोर	जालोर
13	रघुनाथपुरा	सांचोर	जालोर
14	कोमता, सिराणा, खारी, तेजाकीबेरी (तेजा की बेरी), लूम्बाकीढाणी (लुंबा की धनि), सांगणा (संगना), आलवाडा, दूधवा, खेडागांगावा (खेरा गंगावा), सुराणा(सुराना), नारवाडा (नरवाडा), हरमू, पुनावास (पुनवास), देताकलां (देटा कलान), तिलोडा (तिलोरा), रोहिनवाडा (रोहिनवारा), पोषाणा(पोसना), देताखुर्द (देटा खर्द), पुनराऊ (पुनरु), विशाला, पांथेड़ी, खेतलावा	सायल	जालोर

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, मेसर्स राजस्थान IV ए पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड को उपरोक्त ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किये गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किये जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं-

- यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।
- आवेदक को प्रस्तावित लाइन की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकरणों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।
- आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए ट्रांसमिशन, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।
- आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइन का प्रचालन करेगा।
- यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अधीन है।
- मेसर्स राजस्थान IV ए पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।
- यदि, उपरोक्त ओवरहेड लाइनों का मार्ग (या उपरोक्त ओवरहेड लाइन के मार्ग का कुछ भाग) संशोधित ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) क्षेत्र में आता है, तो आवेदक को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रिट याचिका (सिविल) संख्या 838/2019 के दिनांक 19.12.2025 के आदेश और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारियों द्वारा दिए गए किसी भी अन्य निर्देश का पालन करना होगा।

[फा. सं. 25-16/75/2025-पावरग्रिड(एमओपी)]

एम.वी.एन. वरा प्रसाद, अवर सचिव (पीजी)

MINISTRY OF POWER

ORDER

New Delhi, the 30th January, 2026

S.O. 455(E).— Whereas M/s Rajasthan IV A Power Transmission Limited has its registered address at T-15 A, Third Floor, Sakon Rasvilas Saket, New Delhi, India 110 017, India has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line under “Transmission System for Evacuation of Power from Rajasthan REZ PH-IV (Part-2: 5.5 GW) (Jaisalmer / Barmer Complex): Part A”.

And whereas, Ministry of Power, Government of India vide its letter No. 25-17/26/2024-PG dated 22.03.2024 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 for the overhead line covered under “Transmission System for Evacuation of Power from Rajasthan REZ P H-IV (Part-2: 5.5 GW) (Jaisalmer / Barmer Complex): Part A”.

M/s Rajasthan IV A Power Transmission Limited has published notice for transmission scheme in local newspapers The Indian Express (English) dated 03.11.2024 & corrigendum dated 22.03.2025, Dainik Bhaskar (Hindi) dated 03.11.2024 & corrigendum dated 22.03.2025, Dainik Navjyoti (Hindi) dated 03.11.2024 & corrigendum dated 22.03.2025, Rajasthan Patrika (Hindi) dated 03.11.2024 & corrigendum dated 22.03.2025 and in Weekly Gazette of India dated 30.11.2024 and its Corrigendum for the Weekly Gazette on 03.05.2025 for the general public to make observations/representations on the proposed transmission route within 2 months from the date of publication. Subsequently, M/s Rajasthan IV A Power Transmission Limited has submitted an affidavit dated 28.07.2025 declaring 09 numbers of observations / representations were received within 2 months from the date of publication of public notices and were suitably replied and closed.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines under “Transmission System for Evacuation of Power from Rajasthan REZ PH-IV (Part-2: 5.5 GW) (Jaisalmer / Barmer Complex): Part A”. The following overhead line is covered under this scheme:

1. Fatehgarh IV Section 2 PS – Bhinmal (PG) 400kV D/c (Twin HTLS)
2. LILO of both ckts of 765kV Fatehgarh III – Beawar D/c Line at Fatehgarh IV PS

The transmission lines covered under the scheme will pass through, over, around and between the following villages, town and cities of **Rajasthan** state:

SR. NO.	NAME OF VILLAGE	TEHSIL	DISTRICT
1	PANCHANIYON KI DHANI, HARIYALA MAGRA JAITANIYON KI DHANI, HARIYALI, MADPURA SANI, SARNOO PANJI, SARNOO BHIMJI, AAKAL, KHARIYA TALA, BHADKHA PUROHITAN, NARANIYON KI DHANI, LALANIYON KI DHANI, KURLA	BARMER	BARMER
2	BHOJASAR NATHONI JONIYON KI DHANI, CHAINANIYON KI DHANI, KAKADON KI DHANI, ANDONIYON KI DHANI, KHANWALIYA NADA, DOGIYALON KI DHANI, BORWA, LAPLA, BAYATU PANJI, HUDO KI DHANI, SAUONKI DHANI, NOSAR, PANANIYON KI DHANI, SEEHRON KI DHANI, BANK NADI, MITHIYA TALA, PURANA GAON, LADHONIYON KI DHANI, BHAGONIYON KI DHANI, BANIYA DHORA, RAMSARIYA, BAYATU BHIMJI, SAJAN KI DHANI, KHARDA BERA, TRISHOOLIYA, KERLI NADI, UDARIYA, GODARON KA SARA (GODARON KA DHANI), NAIYO KI DHANI, SEONIYALA, KASORIYA, Jaguwaniyo Ki Dhani (Jaguon Ki dhani), GEHOONWALA (GEHU WALA), NAGONIYON DHATARWALON KI DHANI (NAGONI DHATARWALON KI DHANI), DONONIYON MEGWALON KI DHANI (MEGWALON KI DHANI), KHARTHONIYON KI DHANI (KHOTON KI DHANI) (KHARTHONIYON KA TALA), BANIYALON KI DHANI, MAHIGONIYON MOODHON KI DHANI (MAHIGONI MOODHO KI DHANI), PANONI JONIYON KI DHANI (PANONIYON KI DHANI), MAKONIYON KI DHANI, JOGASAR, BHADARWA PUROHITAN,	BAYTOO (BAYTU)	BARMER

	DERAMONIYON KI DHANI, DHARNA DHORA, PEERONI KADAWASARO KI DHANI, MAGNE KI DHANI, RAMSAR KA KUA, BARIWALA TALA, SANGANA KUA, DUDIYA KI DHANI		
3	ISRAMON KA TALA, MULONIYON KI DHANI, RATNALINADI (RATNALI NADI), CHHITAR KA PAR (CHHITAR KAPAR), CHOKHLA, KHAN JI KA TALA (KHANJI KA TALA)	BATADU	BARMER
4	NAYA KHARNTIYA, KHARNTIYA, SANPA MANJI, BHATYON KI DER, SANPA PHANTA BHOMJI, TAKOBERI, KAMTHAI, BILASAR, SAMDARON KA TALA, DHANNE KI DHANI, POTLIYON KI DHANI, LOOKHON KI DHANI, SINDARI CHARNAN, KARDALI NADI, ED AMARSINGH, GADESARA, BHALKHARI, DANGAWA, LOONA (LOONA KALAN), MANDAWALA, KERALA PANA, ED SINDARI, JEROOPANIYON KA TALA (JEROO PANIYON KA TALA), ARNIYALI MAHECHAN, PAYLA KHURD (PANYLA KHURD), PAYLA KALAN, GALA NADI (GALANADI), SEONIYALA, THAON KI DHANI, JUNAKHEDA DARGUDA, MOTISARA, KHERAJPURA, GOSAI NAGAR, JASNATH NAGAR, JEROOPANIYO KA TALA	SINDHARI	BARMER
5	DHARASAR KA TALA (DHARASAR), NEEMBALI, BHOJARIA, BHOJRAJPURA	CHOHTAN	BARMER
6	SODHON KI DHANI, DHOLINADI	GUDHA MALANI (GUDHAMALANI)	BARMER
7	SINDHIYON KI DHANI	PACHPADRA	BARMER
8	BHAGWANANIYON KI DHANI, HARWA, MANIHARI, GOONGA, BISOOKALA, BALAI, SHEO, JORANADA, NEEMBASAR, NAGARDA, AGORIYA, SAJEETRA (SAJEETARA), NEEMBLA (NEEMBALA), PUSHAD (PUSHAR), CHAKGOONGA (CHAK GOONGA), MEGHWALO KI DHANI, AMBAWADI, LALSHO KI DHANI, VIRUDHSINGH KI DHANI, HEMANADA, KAPOORDI, BHADRES GANDHAV, JALIPA AGOR, PUROHITON KI BASTI, BANDRA, SANSIYON KI BASTI, NAGNESIYAN DHOONDHA, LANI KATHA, BAKANIYON KA WAS, NATHANIYON KA WAS, AJITANIYON KI DHANI, AJITANYAN KI DHANI, SARUPARAN KI DHANI, SARUPA RAM KI DHANI, KUMBHAR KI DHANI, KUMHAR KI DHANI, RATTE KUMHAR KI DHANI, AAI MATA MANDIR, TULCHHANI, TULCHANAN	SHEO	BARMER
9	RANGALA, BIJALIYA, KHOKHA, SOBRAWAS, KORI DHAVECHA, JAISAWAS, KURA DHAVECHA, MEERGANJ	BAGORA	JALOR
10	KOT KASTA, KORA, RUCHIYAR, DASPAN, SARTHALA, BHAGAL SEPHTA, NASOLI (NAASOLAJITI), NARTA, LEDARMER, BHINMAL A, BHINMAL B, BHINMAL C, NAWAPURA CHAUPAWATAN (NAVAPURA CHAUPAWATAN), GASERI (GHASERI), KAWTARA (KAWATARA), MAIYA KI DHANI, KUSHALPURA	BHINMAL	JALOR
11	BHADARDA, DELWARA	JASWANTPURA	JALOR
12	KHANPUR	JALOR	JALOR
13	RAGHUNATHPURA	SANCHORE	JALOR
14	KOMTA, SIRANA, KHARI, TEJA KI BERI, LUMBA KI DHANI, SANGANA, ALWARA, DOODHWA, KHERA GANGAWA, SURANA, NARWARA, HARMOO, PUNAWAS, DETA KALAN, TILORA, ROHINWARA, POSANA, DETA KHURD, PUNRAU, VISHALA, PATHERI (PANTHERI), KHETLAWA (KHETLAWAS)	SAYLA	JALOR

Now, after careful consideration, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s Rajasthan IV A Power Transmission Limited, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned line, namely:

- i. The approval is granted for 25 years.
- ii. The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e., local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed line.
- iii. The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under Electricity Act, 2003.
- iv. The Applicant shall operate the line after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.
- v. The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.
- vi. M/s Rajasthan IV A Power Transmission Limited shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defense etc., at the time of Electrical Inspection.
- vii. In case, the route of above overhead lines (or some portion of the route of above overhead line) falls in the Revised Great Indian Bustard (GIB) area, the applicant has to comply with the directions of Hon'ble Supreme Court of India in its order dated 19.12.2025 in Writ Petition (Civil) No. 838 of 2019 and any other directions given by competent authorities in pursuance of the above order by Hon'ble Supreme Court.

[F.No. 25-16/75/2025-POWER GRID(MoP)]

M.V.N. VARA PRASAD, Under Secy. (PG)